# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 515 सन 2020

अनवान :–

1. कुलदीप पुत्र भवरसिह जाति राजपूत साकिन मेधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. भंवरसिह पुत्र भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
2. मोतीसिह पुत्र भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
3. राजुसिह पुत्र भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
4. रोहताशसिह पुत्र भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
5. सरदारसिह पुत्र भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
6. रूकमणी पत्नी भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
7. सुमन कंवर पुत्री भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
8. रामी देवी पुत्री भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
9. रोशनी कंवर पुत्री भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
10. सन्तोष कवंर पुत्री भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
11. मंदकंवर पुत्र पिरोज कंवर पुत्री भोपालसिह जाति राजपूत निवासी बडवा तहसील सिवानी जिला हिसार।
12. गिरवरसिह पुत्र पिरोज कंवर पुत्री जीणसिह जाति राजपूत निवासी बडवा तहसील सिवानी जिला हिसार
13. जुगती उर्फ विनोद कंवर पुत्री पिरोज कवर पुत्री भोपालसिह जाति राजपुत निवासी बडवा तहसील सिवानी जिला हिसार
14. सुप्यारी पत्नी खंगसिह पुत्र पिरोज कंवर पुत्री भोपालसिह जाति राजपुत निवासी बडवा तहसील सिवानी जिला हिसार
15. कालुसिह पुत्र खंगसिह पुत्र पिरोज कवंर पुत्री भोपालसिह जाति राजपूत निवासी बडवा तहसील सिवानी जिला हिसार
16. सुनील सिह पुत्र खंगसिह पुत्र पिरोज कंवर पुत्री भोपालसिह जाति राजपूत निवासी बडवा तहसील सिवानी जिला हिसार
17. भानीसिह पुत्र भंवरसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
18. मित्रों कवर पुत्री भंवरसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
19. अनिता कंवर पुत्री भंवरसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

**निर्णय दिनांक :–** 04/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 269/273 की कुल 18.4890हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के नाम से सयुक्त खाता में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज जीवनसिह वल्द मन्सासिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि उनके वारिसान वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के नाम विरास्तन से उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है। अर्थात वाद भूमि विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के नाम से दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 6 जो वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 वादी की बुआ एवं भोपालसिह की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 11 वादी की बहन पिरोज के पुत्र/पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 वादी की बहन पिरोज के पुत्र/पुत्रीया के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 17 ,18 वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

5 ता 16 ,18 ,19 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एवं 17 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,17 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,17 अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि पूर्वज जीवनसिह पुत्र मन्सासिह के देहान्त पर विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 16 ,18 ,19 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों /भतिजों /पिता के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,17 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,17 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 19 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 269/273 की कुल 18.4890हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के नाम से सयुक्त खाता में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज जीवनसिह वल्द मन्सासिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि उनके वारिसान वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के नाम विरास्तन से उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है। अर्थात वाद भूमि विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के नाम से दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 6 जो वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 वादी की बुआ एवं भोपालसिह की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 11 वादी की बहन पिरोज के पुत्र/पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 वादी की बहन पिरोज के पुत्र/पुत्रीया के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 17 ,18 वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 5 ता 16 ,18 ,19 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 एवं 17 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,17 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 269/273 की कुल 18.4890हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के नाम से सयुक्त खाता में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 के नाम से दर्ज हुई एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 16 ,18 ,19 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,17 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,17 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 6 ता 16 ,18 , 19 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 , 17 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 16 ,18 ,19 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 269/273 की कुल 18.4890हैक्ट भूमि जो प्रतिवादी संख्या 6 ता 16 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी 1 व 17 बहिब 1/10 हिस्सा , एवं प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/10 हिसस एवं प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1/10 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 6 ता 16 ,18 ,19 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. कुलदीप पुत्र भवरसिह जाति राजपूत साकिन मेधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
वादी

बनाम

1 भंवरसिह पुत्र भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
2. मोतीसिह पुत्र भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
3. राजुसिह पुत्र भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
4. रोहताशसिह पुत्र भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
5. सरदारसिह पुत्र भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
6. रूकमणी पत्नी भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
7. सुमन कंवर पुत्री भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
8. रामी देवी पुत्री भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
9. रोशनी कंवर पुत्री भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
10. सन्तोष कवंर पुत्री भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
11. मंदकंवर पुत्र पिरोज कंवर पुत्री भोपालसिह जाति राजपूत निवासी बडवा तहसील सिवानी जिला हिसार।
12. गिरवरसिह पुत्र पिरोज कंवर पुत्री जीणसिह जाति राजपूत निवासी बडवा तहसील सिवानी जिला हिसार
13. जुगती उर्फ विनोद कंवर पुत्री पिरोज कवर पुत्री भोपालसिह जाति राजपुत निवासी बडवा तहसील सिवानी जिला हिसार
14. सुप्यारी पत्नी खंगसिह पुत्र पिरोज कंवर पुत्री भोपालसिह जाति राजपुत निवासी बडवा तहसील सिवानी जिला हिसार
15. कालुसिह पुत्र खंगसिह पुत्र पिरोज कवंर पुत्री भोपालसिह जाति राजपूत निवासी बडवा तहसील सिवानी जिला हिसार
16. सुनील सिह पुत्र खंगसिह पुत्र पिरोज कंवर पुत्री भोपालसिह जाति राजपूत निवासी बडवा तहसील सिवानी जिला हिसार
17. भानीसिह पुत्र भंवरसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
18. मित्रों कवर पुत्री भंवरसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
19. अनिता कंवर पुत्री भंवरसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 515 सन 2020 निर्णय दिनांक–** 04/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 269/273 की कुल 18.4890हैक्ट भूमि जो प्रतिवादी संख्या 6 ता 16 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी 1 व 17 बहिब 1/10 हिस्सा , एवं प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/10 हिसस एवं प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1/10 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 6 ता 16 ,18 ,19 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

# संशोधित पर्चा डिक्री

( आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. कुलदीप पुत्र भवरसिह जाति राजपूत साकिन मेधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 भंवरसिह पुत्र भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
2. मोतीसिह पुत्र भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
3. राजुसिह पुत्र भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
4. रोहताशसिह पुत्र भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
5. सरदारसिह पुत्र भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
6. रूकमणी पत्नी भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
7. सुमन कंवर पुत्री भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
8. रामी देवी पुत्री भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
9. रोशनी कंवर पुत्री भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
10. सन्तोष कवंर पुत्री भोपालसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
11. मंदकंवर पुत्र पिरोज कंवर पुत्री भोपालसिह जाति राजपूत निवासी बडवा तहसील सिवानी जिला हिसार।
12. गिरवरसिह पुत्र पिरोज कंवर पुत्री जीणसिह जाति राजपूत निवासी बडवा तहसील सिवानी जिला हिसार
13. जुगती उर्फ विनोद कंवर पुत्री पिरोज कवर पुत्री भोपालसिह जाति राजपुत निवासी बडवा तहसील सिवानी जिला हिसार
14. सुप्यारी पत्नी खंगसिह पुत्र पिरोज कंवर पुत्री भोपालसिह जाति राजपुत निवासी बडवा तहसील सिवानी जिला हिसार
15. कालुसिह पुत्र खंगसिह पुत्र पिरोज कवंर पुत्री भोपालसिह जाति राजपूत निवासी बडवा तहसील सिवानी जिला हिसार
16. सुनील सिह पुत्र खंगसिह पुत्र पिरोज कवंर पुत्री भोपालसिह जाति राजपूत निवासी बडवा तहसील सिवानी जिला हिसार
17. भानीसिह पुत्र भंवरसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
18. मित्रों कवर पुत्री भंवरसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
19. अनिता कंवर पुत्री भंवरसिह जाति राजपुत निवासी मेधाना तहसील नोहर।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 515 सन 2020 निर्णय दिनांक–** 24/3/2021

आज यह प्रार्थना पत्र 151–152 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व पर्चा डिक्री दिनांक 04.03.2021 में प्रतिवादी संख्या 11 का नाम मंदकवर पुत्र पिरोज कंवर के स्थान पर मेदकवर पुत्री जीवणसिह प्रतिवादी संख्या 12 का नाम गिरवारसिह पुत्र पिरोज कंवर पुत्री जीणसिह दर्ज के स्थान पर गिरवरसिह पुत्र पिरोज कंवर पुत्र जीवणसिह प्रतिवाादी संख्या 13 ता 16 के पिता का नाम पिरोज कंवर पुत्री भोपालसिह दर्ज है के स्थान पर पिरोज कंवर पुत्री जीवणसिह संशोधन किया जाता है शेष डिक्री यथावत रहेगी व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner